इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 नवम्बर 2023—कार्तिक 26, शक 1945


## भाग 3 ( 1 )

## विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

**कार्यालय, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर, मध्यप्रदेश**

क्र—जविप्रा—भू—अर्जन. 2023—9819 जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2023

''प्रारूप—उन्नीस''

[नियम 19 (13) देखिए)]

[धारा 50 की उपधारा (11) के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना]

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि जबलपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS–05 / JBP / 2022 अर्थात् ग्राम महाराजपुर, हथना एवं खैरी को संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है.

उक्त स्कीम के अभिविन्यास, मूल भू—खण्ड तथा अन्तिम भू—खण्ड को दर्शाते हुए तथा प्रारूप—उन्नीस (क) प्रारूप—उन्नीस (ख) तथा प्रारूप (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैः—

1. जबलपुर विकास प्राधिकरण, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर.
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर.
3. नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर.
4. स्थानीय नगरीय निकाय नगर पालिक निगम, जबलपुर.
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात jdajabalpur.org

उपरोक्त स्कीम दिनांक 17 नवम्बर 2023 से प्रभावशील होगी.

**दीपक कुमार वैद्य,** मुख्य कार्यपालिक अधिकारी.

(G-2200)